समक्ष माननीय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर

नि.प्र.क..... निग – 2146 – PBR – 15

जन सहयोग गृह निर्माण सहकारी
संस्था मर्यादित, भोपाल

.... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

तहसीलदार नजूल एम.पी.नगर
वृत्त –3 भोपाल

.... अनावेदक

पुनरीक्षण

न्यायालय तहसीलदार नजूल एम.पी.नगर वृत्त –3 भोपाल द्वारा प्र.क.–29/अ–6/15–16 में पारित आदेश दिनांक 21.12.15 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नलिखित अनुसार अनुरोध है–

पुनरीक्षणकर्ता एक गृह निर्माण सहकारी संस्था है जिसके द्वारा पूर्व में एक पुनरीक्षण अपर आयुक्त भोपाल संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक **18.04.07 के** विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी जिसका प्र.**क.निगरानी** 987 पी.बी.आर./07 है।

2 माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक **8.12.15** को अन्तरित आदेश पारित कर पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण स्वीकार की जाकर **अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल** द्वारा पारित आदेश **दिनांक 18.04.07** एवं **अनुविभागीय अधिकारी राजधानी परियोजना भोपाल** द्वारा पारित आदेश दिनांक **26.09.15** निरस्त किये जाकर **अपर तहसीलदार वृत्त –3 हुजूर भोपाल** द्वारा पारित आदेश दिनांक **2.12.02** को यथावत रखा गया।

जनसहयोग गृह निर्माण / आमन्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 4146–पीबीआर / 15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–1–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार की आदेशिका दिनांक 21–12–2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8–12–2015 को आदेश पारित कर अपर तहसीलदार वृत्त 3 हुजूर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–12–2002 यथावत् रखा गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वे इस न्यायालय के आदेश के पालन में अपर तहसीलदार वृत्त 3 हुजूर भोपाल के आदेश दिनांक 2–12–2002 के अनुसार राजस्व अभिलेख संशाधित कराते, परंतु उनके द्वारा पृथक से प्रकरण कमांक 29 / अ–6 / 15–16 दर्ज कर नामातरण की कार्यवाही की जा रही है, जो जहां इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, वहीं अवमानना भी है । अतः तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 29 / अ–6 / 15–16 में की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाकर, प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार, नजूल, एम0पी0 नगर, वृत्त भोपाल इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8–12–2015 का पालन करें । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	